वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना विवरण :–</td><td></td><td colspan="7">आगडीह हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण</td><td>(i)</td><td colspan="7">जशपुर जिले के जशपुर विकासखण्ड के ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 19/विमानन/2011 रायपुर दिनांक 25/10/2011 को स्वीकृति प्रदान की गई है, भविष्य की मांग अनुसार हवाई पट्टी में पश्चिम दिशा की ओर 450 मीटर का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है । हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार के लिये 4.365 हे. राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="7">विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="7">(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>क्र.</td><td>जिले का नाम</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम</td><td>कक्ष कमांक</td><td colspan="2">आवेदित क्षेत्रफल हे॰ में</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td colspan="2">0.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">योग :–</td><td colspan="2">0.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="7">(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि:–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>अनु. क्र.</td><td>जिले का नाम</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>तहसील का नाम</td><td>ग्राम का नाम</td><td>खसरा कमांक</td><td>आवेदित क्षेत्रफल हे॰ में</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td rowspan="2">जशपुर</td><td rowspan="2">जशपुर वनमंडल</td><td rowspan="2">जशपुर</td><td rowspan="2">तुरीलोदाम</td><td>188</td><td>1.975</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>195</td><td>2.389</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">योग :–</td><td>4.365</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैंप।</td><td>(ii)</td><td colspan="7">वांछित मानचित्र/वनभूमि का मानचित्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>परियोजना की लागत</td><td>(iii)</td><td colspan="7">रूपये 885.69 लाख</td></tr>
</table>

(iv)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	(iv)	जशपुर जिले अन्तर्गत आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर द्वारा प्रशासकीय एवं कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निमाण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र अम्बिकापुर के द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग जशपुर संभाग द्वारा सर्वे कार्य किया गया, सर्वे उपरान्त हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है ।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	(v)	आवश्यक नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	(vi)	निर्माण समय में लगभग 10 कुशल एवं 50 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन ।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उददेश्यवार विवरण		परियोजना में आवश्यक वन भूमि का उपयोग सिर्फ हवाई पट्टी विस्तार हेतु किया जायेगा एवं ग्रामीणों हेतु हवाई पट्टी से बायपास पहुच मार्ग के निर्माण किया जायेगा । जिससे हवाई पट्टी विस्तार के बाद ग्रामीणों के ग्राम तक पहुचने में असुविधा ना हो ।
3	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है?		
(i)	परिवारों की संख्या	(i)	निरक
(ii)	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारो की	(ii)	निरक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	(iii)	निरक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	4	आवश्यक नही ।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि मे पुनः वनीकरण की वचन–बद्धता संलग्न की जाए।	5	वचन पत्र सलग्न है

6	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा	6	संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजो का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–
			1. राज्य शासन विमानन विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति पत्र की छाया प्रति
			2. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन पंजीयन हेतु पंजीयन एवं प्रोसेसिंग की राशि का डिमांड ड्राफट मूल प्रति
			3. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर जशपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र
			4. परियोजना का विस्तृत मानचित्र 1:50000 स्केल टोपोशिट पर
			5. परियोजना का विस्तृत विवरण रिपोट (डी.पी.आर.)
			6. एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाने का वचन पत्र
			7. अन्य प्रमाण / वचन पत्र
			8. परियोजना हेतु आवेदित वनभूमि का डी.जी.पी.एस. सवे कार्डीनेट एवं रिपोर्ट

हस्ताक्षरकर्ता

तिथि : 05 / 02 / 2015
स्थान : जशपुर

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग–जशपुर
जिला जशपुर (छ.ग.)